न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 235 / 2016

1 नन्दलाल उम्र 61 साल पुत्र हणमान जाति राणा पेशा काश्त (खेती) निवासी ढाणी बिजारिणा तन हुकमपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.)।

अपीलांटस

बनाम

1 भूमि धारक जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज. ।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 01.07.2016 पीठासीन अधिकारी श्री बलदेवाराम धोजक आरएएस बउनवानी प्रकरण नन्दलाल बनाम भूमि धारक जरिये तहसीलदार दावा बाबत घोषणार्थ एवं स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 366 / 2015

उपस्थिति :

1. श्री बनवारीलाल सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री वीरेन्द्र सीगड़, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 24/2/25

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 366/2015 में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 561/626 वाके ग्राम हुकमपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 09.05.2016 से आगामी तारीख पेशी 30.08.2016 सुनवाई हेतु नियत की गई थी इस समयावधि में पत्रावली रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी के जवाब में विचाराधीन थी। पत्रावली को 01.07.2016 को कैम्प कोर्ट बामलास मे बिना किसी सूचना के लेकर पारित किया गया निर्णय खिलाफ कानून होने से अपास्त होने योग्य है। लोक अदालत में निस्तारण करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने वादी को किसी प्रकार की कोई सूचना लिखित व मौखिक नहीं दी गई और ना ही वादी के अधिवक्ता को सूचित किया गया। विचारण न्यायालय ने पत्रावली का निस्तारण करने से पूर्व वादी एवं वादी के अधिवक्ता को सूचित किया जाना आवश्यक था। अर्थात बिना किसी सूचना, सुनवाई के पारित किया गया निर्णय विचारण न्यायालय अपास्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 01.07.2015 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी में अपना जवाब दिनांक 01.07.2016 न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदेही की नकल न तो वादी को और ना ही वादी के अधिवक्ता को प्राप्त करवायी गई तथाकथित निर्णय दिनांक 01.07.2016 सीपीसी के प्रावधानों के प्रतिकुल होने से खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने कैम्प कोर्ट में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में तनकिया (विवादित बिन्दु) तैय नहीं किये गये और ना ही वादी की कोई साक्ष्य ली गई विचारण न्यायालय ने अपनी मनमर्जी से पारित किया गया निर्णय विधिविरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। अपीलान्ट का विचारण न्यायालय के समक्ष घोषणार्थ एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र विचराधीन था वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में पेश किया किन्तु विचारण न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों को नजर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अंदाज कर निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने मात्र वर्तमान जमाबन्दी 2068 से 2071 को आधार मानकर चारागाह भूमि मानते हुये अपना निर्णय पारित किया है अर्थात विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पुराना राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि बजंड दोयम दर्ज है से संबंधित राजस्व रिर्का को नजर अंदाज कर पारित किया गया निर्णय कानून अपासत होन योग्य है। सेटलमेंट कार्यवाही सेटलमेंट अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से विवादित भूमि की किस्म परिवर्तित कर दी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि ग्राम हुकुमपुरा की भूमि खसरा नम्बर 496 चारागाह भूमि राजकीय खाते में होने से अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 12.10.2015 की आदेशिका के अनुसार तलबी हेतु दिनांक 17.11.2015 को नियत की गई। इसके उपरांत दिनांक 08.12.2015, 07.01.2016, 11.03.2016, 09.05.2016 को मोहर अंकित कर आगामी तिथि नियत की गई है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 01.07.2016 को नियत तिथि 30.08.2016 से पूर्व पत्रावली बिना विधिक प्रक्रिया के कैम्प कोर्ट मे रखकर तलबी की कार्यवाही पूर्ण किये बिना विधिक प्रक्रिया अनुसार सुनवाई किये बिना विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया अनुसार तामील प्रक्रिया पूर्ण कर साक्ष्य सुनवाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)